भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1104
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

महिलाओं के लिए समान अवसर

1104. प्रो. अच्युतानंद सांमतः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कार्यबल में शामिल महिलाओं की संख्या के बारे में केंद्रीय स्तर पर डेटा की कमी है और कोविड-19 वैश्विक महामारी से उक्त संख्या किस प्रकार प्रभावित हुई है और यदि हां, तो डेटा की इस कमी के क्या कारण है; और

(ख) महिलाओं के रोजगार की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि महिलाओं के लिए समान अवसर, लिंग के आधार पर वेतन में अंतर को कम करने और 'जी 20 ब्रिस्बेन गोल' और 'जी 20 रोडमैप टुवर्ड्स एंड बियॉन्ड द ब्रिस्बेन' के अंतर्गत अन्य उद्देश्यों को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ख): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2017-18 से आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से इकट्ठे किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण देश में महिलाओं सहित रोजगार/बेरोजगारी के परिदृश्य हेतु संकेतक प्रदान करता है। 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु हेतु अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 22%, 23.3% एवं 28.7% है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनकी रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं।

संध्या 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से संध्या 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति प्रदान की गई है।

सामान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है। यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल प्रयोग के साथ एक सामान्य मंच पर रोजगार खोजने, रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि जैसी रोजगार संबंधी विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं महिलाओं के बीच कौशल और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, एनसीएस विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न अवसर और सुविधा प्रदान करता है।

ये सभी प्रावधान/योजनाएँ जी 20 ब्रिस्बेन लक्ष्य और जी 20 रोडमैप ब्रिस्बेन की दिशा में और उसके पार लक्ष्य के तहत उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करते हैं।

******